बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत रहे श्री संचित पाण्डेय, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कसबा, पूर्णियाँ को जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के आदेश ज्ञापांक– 2651 दिनांक– 04.09.2012 द्वारा प्रशासनिक निष्क्रियता, पी0डी0एस0 के नियंत्रण प्रणाली को कमजोर एवं पंगु बनाने तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री मो0 याकूब, पंचायत– लखना, प्रखंड– कसबा, जिला– पूर्णियाँ को अनुचित लाभ पहुँचाने संबंधित आरोपों के आलोक में निलम्बित किया गया, तथा श्री पाण्डेय के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर उपलब्ध कराया गया । जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय ज्ञाप ज्ञापांक– 2024 दिनांक– 02.04.2013 द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए आयुक्त के सचिव, पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री पाण्डेय की सेवानिवृति के उपरान्त उक्त विभागीय कार्यवाही को विभागीय ज्ञापन ज्ञापांक– 2634 दिनांक– 01.06.2017 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(A) के तहत सम्परिवर्तित किया गया ।

2. उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के क्रम में श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोप यथा जानबुझकर गलत एवं भ्रामक सूचना उच्चाधिकारी को देना, जन वितरण प्रणाली के कार्यकलाप पर उचित देख–रेख एवं नियंत्रण नहीं किया जाना, कालाबाजारी में संलिप्तता प्रमाणित पाये गये । उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक– 1665 दिनांक– 02.04.2018 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गयी । उक्त के क्रम में श्री पाण्डेय द्वारा कारणपृच्छा समर्पित किया गया । श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित द्वितीय करणपृच्छा के समीक्षोपरान्त उनके विरूद्ध प्रतिवेदित सभी तीन आरोप प्रमाणित पाये गये ।

3. जॉच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक मे श्री पाण्डेय, घोर कदाचार के दोषी पाये गये है । फलतः बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(A) के तहत श्री संचित पाण्डेय, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कसबा, पूर्णियाँ सम्प्रति सेवानिवृत की 40% (चालीस प्रतिशत) पेंशन की कटौती का दण्ड अधिरोपित करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है ।

4. श्री पाण्डेय द्वारा निलम्बन अवधि में बितायी गयी सेवा के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।

ह0/--
(चन्द्रशेखर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र08गो0वि0 (पूर्णियाँ)–12/2012 [illegible] /खाद्य,पटना/दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/आयुक्त के सचिव, पूर्णियाँ प्रमंडल पूर्णियाँ –सह–संचालन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णियाँ–सह–उपस्थापन पदाधिकारी/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रशाखा–03 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री संचित पाण्डेय तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कसबा, पूर्णिया सम्प्रति सेवानिवृत (सेवानिवृति के समय अदापुर, पूर्वी चम्पारण में पदस्थापित) वर्तमान पता– ग्राम– महना, [illegible], पो0– चनपटिया, जिला– पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण से अनुरोध है कि श्री पाण्डेय को उक्त आदेश की प्रति तामिला कराते हुए तत्संबंधी तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के अपर सचिव।

D:\backup\Year_2016\FK\sec-08 (08-09-2016)\sec_8\KOT_ord .doc AKS